भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1675

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946, (शक)

प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस

1675. **श्री सुब्बारायण के.:**
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों का डेटा बेस है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार देश में अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों का डेटा बेस कब तक सृजित कराएगी;

(ग) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रवासी कर्मकारों को जारी किए गए स्मार्ट कार्डों का ब्यौरा क्या है और इसमें कवर किए गए प्रवासी कर्मकारों का प्रतिशत क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसे प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराया गया है। यह असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाना है। दिनांक 04.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रवासी कामगारों सहित 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को इस पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और जिन्हें ई-श्रम कार्ड जारी किया गया है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 लागू किया गया है। अधिनियम में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को रोजगार देने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक वस्त्र आदि प्रदान किए जाने होते हैं।

*****